न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 67 / 2020

निर्णय दिनांक 22.12

उनवान

1. किशनलाल पुत्र श्री रामफूल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रमजानीपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

---प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

--- अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।

प्रार्थी ग्राम हिंगोटी पटवार हल्का हरिनारायणपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खाता संख्या 59 में खसरा नंबर 385, 386, 387, 417, 427, कुल किता 05 कुल रकबा 1.08 है0 भुमि वाके ग्राम हिंगोटी पटवार हल्का हरिनारायणपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है, प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया जो संलग्न मिसल है वकील प्रार्थिया को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खाता संख्या 59 में खसरा नंबर 385, 386, 387, 417, 427, कुल किता 05 कुल रकबा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

1.08 है0 भुमि वाके ग्राम हिंगोटी पटवार हल्का हरिनारायणपुरा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है की भूमि पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू